241

संख्या – /XXIV(6)/2014/50(4)13

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
नैनताल ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 04 मार्च, 2014

विषयः श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के देहरादून शिविर कार्यालय में अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किए जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांकः एसएसडीयूवी/555/2013 दिनांकः 24.9.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें दून विश्वविद्यालय में परिसर स्थापित किए जाने संबंधी अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किए जाने हेतु ₹ 30.13 लाख की धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से गठित प्रारम्भिक आंगणन 30.13 लाख के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत औचित्यपूर्ण **धनराशि ₹ 30.08 लाख (₹ 5.09 लाख सिविल कार्यों तथा ₹ 24.99 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 द्वारा) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त वर्णित संस्तुत धनराशि के सापेक्ष ₹ 25,00,000/– (₹ पच्चीस लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 284 दिनांकः 30.3.2013 एवं शासनदेश संख्याः 413/XXVII(1)/2013 दिनांकः 10.6.2013 मे उल्लिखित निर्देशानुसार तथा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) कुलपति, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शासन के पत्र संख्याः 50(4)/xxiv(6)/2013 दिनांकः 27.5.2013 द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपयोग पूर्ण रूप से एवं अपेक्षित गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कर लिया गया है। अवमुक्त की जा रही धनराशि से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों को विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर अथवा निर्माणाधीन सेलाकुई परिसर की स्थापना के उपरांत उसमे हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, एवं इस हेतु पुनः धनराशि की मांग नही की जाएगी।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी के प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरांत किया जाएगा। उक्त मद की अवशेष धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा अपने आय के स्रोतों से वहन किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने की प्राथमिकता को दृष्टिगत् रखते हुए ही धनराशि आहरित/व्यय की जाये। चयनित कार्यदायी संस्था को कार्यों हेतु जब अन्तिम किश्त निर्गत की जाय तो उक्त अन्तिम किश्त निर्गत करने से पूर्व उक्त कार्यो का तृतीय पक्ष मूल्यांकन (Third Party Evaluation) करा लिया जाय, ताकि कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

.....2

G.O. letter

(iv) आंगणन दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट के स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जाएगा। निर्माण कार्य के आंगणन का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा, एवं किसी भी दशा मे अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जाएगी।

(v) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(vi) स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति/सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करना आवश्यक होगा। निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त पायी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रयोग किया जाय।

(vii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकाताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(viii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 2047/XIV-2219(2006) दिनांकः 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आंगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(ix) उक्त स्वीकृत धनराशि में अधिप्राप्ति निमयावली के अन्तर्गत कराए जाने वाले कार्यों हेतु Uttarahand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा अनुमन्य दरों पर कराया जाए एवं विशेष रूप से किए जाने वाले कार्यों की गणना पृथक रूप से आंगणन में की जाए। कार्यों को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराए जाने हेतु निरन्तर अनुश्रवण एवं समीक्षा किया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित निर्माण एजेंसी पूर्ण रूप से उत्तदायी मानी जाएगी।

4– व्यय उन्हीं कार्यो/योजनाओं मदों पर किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा तथा समय–समय पर वित्त विभाग के निर्गत शासनादेशों में वित्तीय एवं मितव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए सम्बन्धित् अधिकारी उत्तरदायी होंगें।

5– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 413/XXVII(1)/2013 दिनांकः 10.6.2013 में उल्लिखित दिशा–निर्देशानुसार एवं पूर्व में निर्गत वित्तीय मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, वित्तीय, भौतिक विवरण आदि की सूचना प्रशासकीय विभाग के साथ ही नियोजन/वित्त विभाग को माह के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, विश्वविद्यालय द्वारा कार्यो की सतत् मोनीटरिंग सुनिश्चित की जाएगी।

7– निमार्ण कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)2007 दिनांक 15.12.2008 की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से M.O.U हस्ताक्षरित किया जाएगा। कार्य को

....3

निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कर भवन विभाग को हस्तगत् कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्याः 268(P)/XXVII(3)/2013-14 दिनांकः 03 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से तथा www.cts.uk.gov.in से साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत **विशिष्ट एलॉटमेंट आई0डी0संख्या–H1403110315** (प्रति संलग्न) द्वारा निर्गत किए जा रहे है।

9– इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत् पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत् परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–आयोजनागत–203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा–18–एफीलेटिंग विश्वविद्यालय–00–35–पूँजीगत् परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान की सुसंगत इकाई के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव ।

पृष्ठांकन संख्याः 354/XXIV(6)/2014/50(4)13 दिनांकितः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. कुलपति, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी।
3. प्रमुख सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, टिहरी।
5. कोषाधिकारी, टिहरी।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून ।
10. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम, देहरादून।
12. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव ।